राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री ठाकुर कल्याण बनाम अनीता देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1425/2025	
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम राजारामपुरा, पटवार हल्का नांगलपुरोहित, भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र सेवापुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खाता संख्या 105 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर स्थित है जो सम्पूर्ण ही प्रार्थीयागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीयागण ने भूमि खसरा नम्बर 126 में अपने रहवास हेतु पुख्ता मकानात, पशुधन के लिए टीनशेड बना रखे है तथा अपने परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। प्रार्थीयागण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में आराजी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 1.63 हैक्टेयर स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है तथा उक्त खसरा नम्बर 118 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 118/1 नेशनल हाईवे की भूमि है। खसरा नम्बर 118/1 से होते हुए खसरा नम्बर 118 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीयागण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीयागण को अपनी खातेदारी भूमियों में खसरा नम्बर 118/1 के पश्चिमी दिशा में स्थित अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 118 की दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 126 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 127 की पूर्वी सीमा तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में मार्क ए से बी बरंग लाल करीब 100 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडे रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीयागण के मकानात व खातेदारी भूमि के आस-पास कोई अन्य रास्ता या रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं है। प्रार्थीयागण को रास्ते के अभाव में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीयागण की खातेदारी भूमि व मकानात में आने जाने हेतु सबसे सुलभ रास्ता हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं है। प्रार्थीयागण की भूमि वर्णित मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में आने-जाने का रास्ता नही है तथा खेती करना दुर्भर	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मन्दिर श्री ठाकुर कल्याण बनाम अनीता देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/25/2025		

हो रहा है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। मद संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 118 में संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी प्रदर्शित अनुसार प्रार्थीयागण की भूमि व आवास में आने जाने व काश्त हेतु साधन वगै. लाने ले जाने हेतु कायम नहीं किया गया तो प्रार्थीयागण को काश्त करना असम्भव हो जावेगा, जिससे परिवार का पालन पोषण ही दुर्भर हो जावेगा। प्रार्थीयागण द्वारा दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया एवं रास्ते के बदले में जमीन की वर्तमान दर से भुगतान करने अथवा भूमि के बदले भूमि देने बाबत् निवेदन भी किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी स्थिति में अपनी भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु तैयार नहीं है जिसके पश्चात् प्रार्थीयागण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष भी रास्ते बाबत् निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम राजारामपुरा की बाजार व डी. एल. सी. दर/- रूपये प्रति बीघा है, को मध्यनजर रखते हुये न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रतिकर निश्चित किया जावे। प्रार्थना पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि प्रार्थीयागण की भूमि वाके ग्राम राजारामपुरा, पटवार हल्का नांगलपुरोहित, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र सेवापुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खाता संख्या 105 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 0. 29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर में आने जाने एवं काश्त हेतु साधन वगै. लाने ले जाने व कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग के लिये खसरा नम्बर 118/1 के पश्चिमी दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 118 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीयागण की भूमि खसरा नम्बर 126 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 127 की पूर्वी सीमा तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में मार्क ए से बी बरंग लाल करीब 100 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडे रास्ते की भूमि रास्ते के रूप में उपलब्ध करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित करते हुये इसी अनुसार रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित कर प्रतिकर राशि प्रार्थीयागण को भुगतान करने बाबत् आदेशित करने की कृपा करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मन्दिर श्री ठाकुर कल्याण बनाम अनीता देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1425/2025		

विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित कि गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/07/2025 पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी मन्दिर श्री ठाकुर कल्याण जी है, जो कानूनन शास्वत नाबालिग है, ऐसेमें अपीलार्थी की पैरवी की सुनिश्चितता किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी की गयी है | चूँकि यह अपील धारा-96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ मन्दिर श्री ठाकुर कल्याण जी के सरक्षण एवं सेवार्थ प्रस्तुत की गयी है, ऐसेमें न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/07/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य व आपत्ति का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर